प्रारुप–3

भाग–2 (संबधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

<table>
<tr><td>16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति</td><td colspan="4">जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकास खण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत खोला धारपयांकोटी मोटर मार्ग के अन्तिम बिन्दु से स्यालसौड पनयाली होते हुये बणतोगीखाल नैलचामी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 6.00 किमी0)</td></tr>
<tr><td>(i) राज्य/संघराज्यक्षेत्र</td><td colspan="4">उत्तराखण्ड</td></tr>
<tr><td>(ii) जिला</td><td colspan="4">टिहरी गढवाल</td></tr>
<tr><td>(iii) वन प्रभाग</td><td colspan="4">नरेन्द्रनगर वन प्रभाग</td></tr>
<tr><td rowspan="2">(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे0 में)</td><td>आरक्षित वन भूमि (हे0)</td><td>सिविल सोयम (हे0)</td><td>वन पंचायत भूमि (हे0)</td><td>कुल भूमि (हे0)</td></tr>
<tr><td>3.0396</td><td>0.1991</td><td>0.000</td><td>3.2387</td></tr>
<tr><td>(v) वन की कानूनी स्थिति</td><td colspan="4">आरक्षित वन भूमि एवं सिविल एवं सोयम वन भूमि</td></tr>
<tr><td>17. पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थितिः</td><td colspan="4">कोई नही</td></tr>
<tr><td>18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौराः</td><td colspan="4">संलग्न है</td></tr>
<tr><td>(i) वन का प्रकार</td><td colspan="4">मिश्रित वन</td></tr>
<tr><td>(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व</td><td colspan="4">0.50 MDF</td></tr>
<tr><td>(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना</td><td colspan="4">प्रस्तावित स्थल पर अवस्थित कुल वृक्षों एवं वास्तविक रूप से प्रभावित/बाधित होने वाले वृक्षों की गणना/मूल्यांकन सूची प्रस्ताव के सलग्नक–प्रपत्र 19 से प्रपत्र 22 पर चस्पा है।</td></tr>
<tr><td>(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा</td><td colspan="4">–</td></tr>
<tr><td>19. भूक्षरण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी</td><td colspan="4">इस बाबत वरिष्ठ भू–वैज्ञानिक (से0नि0) लोक निर्माण विभाग देहरादून की दो पृष्ठीय भू–गर्भीय आख्या प्रस्ताव के संलग्नक प्रपत्र–33 के साथ पर चस्पा है।</td></tr>
<tr><td>20. वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी :</td><td colspan="4">लगभग 356 मीटर</td></tr>
<tr><td>21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता :</td><td colspan="4">कोई नही</td></tr>
<tr><td>(i) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा :</td><td colspan="4">कोई नही</td></tr>
<tr><td>(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं)</td><td colspan="4">नही</td></tr>
</table>

Scanned by CamScanner

ii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण वैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे र्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित न भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर वस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और ख्या वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियां पाबद्ध की जाए)	नहीं
v) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव त्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य ीव उत्प्रवास आदि पूर्वेक्षण के लिए उपयोजित ी जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से क कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की का-टिप्पणियां उपाबद्ध की जाएं)	नहीं
) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां यदि हैं तो उसके ब्यौरे	कोई नहीं
. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या रासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई हत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो ाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से ापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ सका ब्यौरा दें)	नहीं। इस बाबत प्रस्तावक/लोक निर्माण विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा प्रस्ताव के संलग्नक प्रपत्र-37 पर तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र चस्पा है।
. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली स्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के रे में टीका टिप्पणियां दें :	कोई नहीं
क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में ोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए ते न्यूनतम है।	इस बाबत प्रस्तावक विभाग एवं वन विभाग द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के संलग्नक प्रपत्र-14 पर चस्पा है।
) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए त्र जिसके पूर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जा कता है।	–
. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :	
क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन र्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य किया गया है (हां/नहीं)	नहीं
) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में र्वलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी क्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित तिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए त्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के रुद्ध की गई कार्यवाही	नहीं
i) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है ां/नहीं)	नहीं

Scanned by CamScanner

5. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :	
) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की ई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति।	संलग्न है
i) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा ख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए हचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन से ब्यौरे दें।	संलग्न है
ii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान ए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित रने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत रत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न ।	संलग्न है
v) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन भिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि हित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न (हां/नहीं)।	प्रस्तावित कार्य के निर्माण हेतु अपेक्षित 3.9737 हे0 के बदले दुगने 7.9474 हे0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम धारकोट सिविल भूमि का चयन किया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन एवं मानचित्र प्रस्ताव के संलग्नक प्रपत्र 42,43 व 44 , 45 पर चस्पा है।
) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल त्तीय उपरिव्यय :	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु मु0 22,14,662.00 (बाईस लाख चौदह हजार छः सौ बासठ रूपये) तथा प्रस्तावित मार्ग के दोनो ओर 5.15 किमी0 में रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु मु0 21,51,809.00 (इक्कीस लाख इक्यावन हजार आठ सौ नौ रूपये मात्र)।
i) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन दृष्टिकोणों से पहचानर किए गए क्षेत्र की क्तयुवतता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से ण–पत्र संलग्न हैं (हां/नहीं)।	हॉ
वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित याकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण य प्रकाष में लाने वाले उप वन संरक्षक की ल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)।	हॉ
स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों	**वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण की संस्तुति की जाती है।**

न :– मुनिकीरेती।

ख :– 27–11–2018

हस्ताक्षर
नाम
शासकीय मुहर

Scanned by CamScanner